न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 07/2022 (2022/143)

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री अनिल कुमार जैन पुत्र कंवरलाल जैन, उम्र 60 वर्ष, (एफ बी ओ एवं मालिक), फर्म मैसर्स अनिल ट्रेडिंग कम्पनी, खत्रियों का बास, बस स्टेण्ड, बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। नमूनीकरण स्थान – पुलिस चौकी, सेखाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। निवासी – खत्रियों का बास, बस स्टेण्ड, बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री अभिजीत पंचारिया (अप्रार्थी)।

–:आदेश:– दिनांक :– 27.03.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.06.2022 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स अनिल ट्रेडिंग कम्पनी, खत्रियों का बास, बस स्टेण्ड, बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर के द्वारा वास्ते विक्रय परिवहन की जा रही वाहन संख्या आरजे 19 जीए 9631 पिकअप नमनीकरण स्थान – पुलिस चौकी, सेखाला, तहसील लूणी बालेसर जिला जोधपुर पर पहुंचा व व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय वाहन पर (एफबीओ/विक्रेता/मालिक) की हैसियत से श्री अनिल कुमार जैन पुत्र कंवरलाल जैन, उम्र 60 वर्ष, निवासी – खत्रियों का बास, बस स्टेण्ड, बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो उक्त वाहन में गाय का घी (गौ मैत्री) एवं अन्य घी एवं खाद्य तेल आदी आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। विक्रेता से वर्ष 2022 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होनें खाद्य अनु0 12219032000354 एवं स्वयं का पहचान पत्र पेश किया। वाहन का निरीक्षण करने पर बैग में गाय का घी (गौ मैत्री) 500 एम0 एल0 के 28 जार, 1 लीटर के 12 जार, 2 लीटर के 16 जार, 5 लीटर के 4 टिन, कुल मात्रा 128 लीटर आम जनता को वास्ते विक्रय हेतु रखे हुए थे। मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 730/– नगद देकर गाय का घी (गौ मैत्री) 500 एम0 एल0 के 04 जार वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त गाय का घी (गौ मैत्री) के 04 जार हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:33 IST
Reason: SelfAttested

स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2919 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2919 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं ने, गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 14.06.2022 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–2919 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 13.06.2022 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 13.06.2022 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 544–545 दिनांक 20.06.2022 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 1204 / एक्ट / 2022 / 1205 दिनांक 20.06.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (गौ मैत्री) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अभिजीत धंधारिया ने वकालतनामा तथा प्रारम्भिक आपत्तियाँ पेश की। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:33 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया है क्योंकि प्रार्थी स्वयं लैब टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुआ था तथा सरकार द्वारा उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो चार्ज दिया गया था उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इस कारण उन्हे सैम्पल लेने का तथा न्यायालय में प्रकरण पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रारम्भिक स्तर पर ही उक्त प्रकरण निरस्त योग्य होने से निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी ने निरन्तर बहस में बतलाया कि भारत का राजपत्र दिनांक 27.12.2021 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार घी का नमूना अमानक स्तर होना पाया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा Butyrorefractometer reading at 40^0 c की Range 40.0–44.0 के स्थान पर 40.0–43.5 लगाई गई जो इस अधिसूचना के विपरीत होने से उक्त प्रकरण निरस्त योग्य है। बहस के अन्त में प्रकरण निरस्त कर प्रार्थी अधिवक्ता पर भारी जुर्माना लगाने की इस्तदुआ की।

प्रार्थी ने प्रत्युत्तर में बतलाया कि राज्य सरकार के राजस्थान राजपत्र विशेषांक जिसका प्रकाशन 25 जुलाई 2011 (प्रार्थी का क्रम संख्या 74 में) किया गया जिसके द्वारा प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के कार्य के निर्वहन करने हेतु अधिकृत किया गया। उक्त अधिसूचना आज दिनांक तक राज्य सरकार के द्वारा प्रभावी है।

प्रार्थी ने आगे बतलाया कि अप्रार्थी ने भारत का राजपत्र दिनांक 27.12.2021 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार घी का नमूना अमानक स्तर होना पाया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा Butyrorefractometer reading at 40^0 c की Range 40.0–44.0 के स्थान पर 40.0–43.5 लगाई गई जो इस अधिसूचना के विपरीत होने से उक्त प्रकरण निरस्त योग्य है। इससे वास्तविकता यह है कि उक्त अधिसूचना 27 दिसम्बर 2021 को जारी की गई थी जिसकी प्रभाव में आने की दिनांक 01 जुलाई 2022 है जबकि उक्त घी के निर्माण की दिनांक मई 2022 है। अतः उक्त अधिसूचना उक्त घी पर लागू नहीं होती है।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु गाय का घी (गौ मैत्री) का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 1204/एक्ट/2022/1205 दिनांक 20.06.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (गौ मैत्री) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) होना पाया गया। उक्त प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करके अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:33 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अप्रार्थी श्री अनिल कुमार जैन पुत्र कंवरलाल जैन पर शास्ती रूपये 5,000/— अक्षरे रूपये पांच हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्राथी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर—अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2023/ दिनांक :—
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री अनिल कुमार जैन पुत्र कंवरलाल जैन, उम्र 60 वर्ष, (एफ बी ओ एवं मालिक), फर्म मैसर्स अनिल ट्रेडिंग कम्पनी, खत्रियों का बास, बस स्टेण्ड, बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। निवासी —खत्रियों का बास, बस स्टेण्ड, बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:00:33 IST
Reason: SelfAttested